भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4522

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल से प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर स्थानांतरण

4522. श्री मनीष जायसवाल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री बलभद्र माझीः
श्री आशीष दुबे :
श्री जुगल किशोर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल से प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर आवासों के लिए अनुमोदन प्रणाली को स्थानांतरित करने के साथ वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मौजूदा जवाबदेही तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि स्वीकृत मकान केवल कागजों पर ही न हों बल्कि वास्तव में निर्मित और वितरित किए जाएं;

(ग) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): पीवीटीजी परिवारों को पक्के मकान का प्रावधान पीएम जनमन के तहत उपायों में से एक है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएम जनमन के कार्यान्वयन के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के माध्यम से पीवीटीजी आबादी का अनुमान लगाने और आवास सहित बुनियादी ढांचे में अंतरों का भी पता लगाने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह कार्य शुरू किया है। अभियान के मौजूदा दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त अंतरों को संबंधित मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों द्वारा क्रॉस-सत्यापित किया जाना है। तदनुसार, अभियान के तहत पीएमएवाई-जी मकानों को कार्यक्रम के स्थापित मानदंडों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास सॉफ्ट पोर्टल पर स्वीकृत किया जा रहा है। अनुमोदन के बाद अंतराल (अंतरों) के संबंध में मंजूरी की निगरानी के लिए आंकड़ों को पीएम गति शक्ति पर अद्यतन/एकीकृत किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी योजना का क्रियान्वयन और साक्ष्य आधारित निगरानी दोनों ही आवास सॉफ्ट और आवास ऐप की सहायता से शुरू से अन्त तक लेन देन (एंड टू एंड ट्रांजेक्शन) आधारित ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से की जा रही है। लाभार्थियों की पहचान, स्वीकृति, किस्तों की निर्मुक्ति, पूरा होने की रिपोर्टिंग आदि के माध्यम से सभी कार्य आवास सॉफ्ट और मोबाइल एप्लीकेशन "आवास ऐप" का उपयोग करके किए जाते हैं। वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है, जो जनता के लिए खुली हैं।

(ग) एवं (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। माननीय संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा सदस्यों एवं आम जनता द्वारा सीधे अथवा सीपीजीआरएएमएस (सीपीग्राम) के माध्यम से रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाता है।

*****